

GOVT. OF NCT OF DELHI  
PWD SECRETARIAT: 5<sup>TH</sup> LEVEL: B-WING  
DELHI SECTT. : I.P.ESTATE: NEW DELHI

F. No.11(163)/2017/PWD-II/VS / 11787  
CD No. 057447589

Dated: 9/8/2017

To,

Dy. Secretary,  
Delhi Legislative Assembly,  
Question Branch, Old Sectt.,  
Delhi-110054

**Sub.: Legislative Assembly Un-Starred Que. No.193 Raised by Honble MLA,  
Sh. Manoj Kumar for 10.8.2017.**

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary (Q), Legislative Assembly Secretariat (Question Branch) letter No. F-11(B-I)VI/2015-19/DVS/Que. Branch/ dated 31.7.2017 on the subject cited above. In this regard please find enclosed 100 copies of Reply of Vidhan Sabha Question mentioned for necessary action at your end please. However the copy of the same also sent through e.mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

  
(DEBASIS BISWAL)  
DY. SECRETARY (PWD/VS)

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार  
विभाग का पता :- 5वॉ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ संपदा,  
नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या :-193


दिनांक :-10/08/2017

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मनोज कुमार

क्या लोक निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार दिल्ली में बस लेन का मार्क किया जाना अनिवार्य है;	सत्य है ।
ख)	क्या यह भी सत्य है कि इस डेडिकेटेड बस लेन में किसी अन्य वाहन को पार्क नहीं किया जा सकता और ;	आदेशों/नियमों का पालन आवश्यक है।
ग)	यदि हाँतो सड़कों से ट्रैफिक जैम कम करने हेतू इस निर्देश को दिल्ली में ;क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण है	इस कार्यालय से संबन्धित नहीं है । इस पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है ।
घ)	यदि हाँतो क्या यह कोर्ट की अवमानना , और ;नहीं है	इस कार्यालय से संबन्धित नहीं है ।
ड)	इस अवहेलना के लिए कौन जिम्मेदार है ?	इस कार्यालय से संबन्धित नहीं है ।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

  
(देवासी बिसवाल)  
उप सचिव (लो0नि0वि0)  
दूरभाष: 23392296